

1/20/2021

08.07.25

वकील वादी द्वारा फादर पेय करने पर

फासली पेची में ली गई। वकील उभयपक्ष उपर।

उभयपक्ष द्वारा शजीनामा पेय कर खाता बिभाजन

प्रस्ताव अनुसार फादर डिफ्री करने का निर्देश

किया गया। इतना शजीनामा के आधार पर वादी

का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय

पुथक से लिखाया जाकर सैलमन किया गया।

फासली बाद तर्हीब तक्रमील होकर शाबिल

दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर बुले न्यायपालप में

सुनाया गया।

रत

(दिव्या सोनी)

RAV

उपखण्ड अधिकारी

घड़साना

21/11/21

Identified

by me

Handwritten signature